101

संख्या– /IV(3)/2015/04(14)/2014

प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्ध कुम्भ मेला–2016
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः03 मार्च, 2016

विषय–जनपद हरिद्वार के बहादराबाद विकासखण्ड में सराय बाईपास रोड़ एवं माइनर के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1509/अ0कु0मे0–सिंचाई विभाग, दिनांक 10.12.2015 तथा शासनादेश संख्या–130/ IV(3)/2015/04(14)/2014, दिनांक 23.01.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार के बहादराबाद विकासखण्ड में सराय बाईपास रोड़ एवं माइनर के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 696.33 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 150 लाख को समायोजित करते हुये अवशेष समस्त धनराशि रू0 546.33 लाख (पांच करोड़ छियालीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को अवमुक्त करते हुये व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि की स्वीकृति गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(viii) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

(ix) निर्माण कार्य का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा तथा कार्य की थर्ड पार्टी क्वालिटी चैकिंग कराई जाएगी।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था एवं मेलाधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(xi) अस्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। साथ ही यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।

(xii) प्रश्नगत कार्य का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 की अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4217– शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनगत्/केन्द्रपुरोनिधानित–0107–अर्द्ध कुम्भ मेला, 2016 की मानक मद संख्या–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–904/XXVII(2)/14, दिनांक 1 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– उक्त धनराशि एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या–एस01603130053 एवं एच01603130371 दिनांक 3 मार्च 2016 के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त की गयी है।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–325 (1)/IV(3)/2015/4(14)/2014, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2–महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3–प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5–मुख्य अभियन्ता/नोडल अधिकारी, सिंचाई विभाग देहरादून।
6–निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
7–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार।
8–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
9–वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
10–वित्त अनु0–2
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Urban Development (S054)

आवंटन पत्र संख्या - **325/16-4(14)/2014**

अनुदान संख्या - **013**

अलोटमेंट आई डी - **S1603130053**

आवंटन पत्र दिनांक -03-Mar-2016

HOD Name - Secretary, Urban Development (Grants) (9005)

1: **लेखा शीर्षक**

4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

07 - अर्धकुम्भ मेला, 2016

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	1848403500	54633000	1903036500
	1848403500	**54633000**	**1903036500**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 54633000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Urban Development (Grants) (9005)

आवंटन पत्र संख्या - 325/16-4(14)/2014 **अलोटमेंट आई डी - H1603130371**

अनुदान संख्या - 013 **आवंटन पत्र दिनांक** -03-Mar-2016

DDO Name - Meladhikari KumbhHaridwar (2871) , Treasury - Haridwar (6500)

1: **लेखा शीर्षक** 4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

800 - अन्य व्यय | 01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित

07 - अर्धकुम्भ मेला, 2016

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	1783023500	54633000	1837656500
	1783023500	**54633000**	**1837656500**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 54633000